राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 1173/2023

डॉ. नरेश पाल सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.03.2023
आदेश की दिनांक : 05.04.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में पीसीएमओ के पद पर जिला चिकित्सालय, बुन्दी में कार्यरत है। अपीलार्थी ने अपील में आदेश दिनांक 21.03.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है। जिसके द्वारा बुन्दी में पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी डॉ. धनराज मधुर, प्रमुख विशेषज्ञ (ऑर्थो) को कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुन्दी की आहरण वितरण शक्तियां प्रदान की गई है। अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है एवं अपीलार्थी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी होने के नाते आहरण वितरण शक्तियां प्राप्त थी, परंतु आलौच्य आदेश के जरिये आहरण वितरण शक्तियां प्रत्यर्थी संख्या–4 को प्रदान की गई है जो नियम–विरूद्ध है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 17.10.2022 से जिला चिकित्सालय बुन्दी किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने जिला चिकित्सालय, बुन्दी में दिनांक 02.11.2022 को कार्यग्रहण किया, परंतु उसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 07.12.2022 को बिना किसी कारण के अपीलार्थी को ए.पी.ओ. में रखे जाने का आदेश पारित किया और दिनांक 08.12.2022 को अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी को ए. पी.ओ. किये जाने के आदेश को अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष चुनौती दी,

जिसमें अधिकरण द्वारा दिनांक 15.12.2022 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर ए.पी.ओ. के आदेश दिनांक 07.12.2022 की क्रियान्विति स्थगित की। साथ ही यह भी आदेश दिया कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें, जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। उपरोक्त स्थगन आदेश के प्रभावी होने से वर्तमान में अपीलार्थी जिला चिकित्सालय, बुन्दी में पीसीएमओ के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने बिना किसी कारण के अपीलार्थी को प्राप्त आहरण वितरण शक्तियों को प्रत्यर्थी संख्या–4 को प्रदान किया है, जो गलत है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि आलौच्य आदेश से अपीलार्थी का स्थानांतरण नहीं किया गया है, अपितु केवलमात्र आहरण वितरण शक्तियां प्रत्यर्थी सख्या 4 को प्रदान की है। यह नियोक्ता पर निर्भर करता है कि वो अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस प्रकार से प्राप्त करना चाहता है। आलौच्य आदेश दिनांक 21.03.2023 में कोई दुर्भावना होना प्रकट नहीं होती है, न ही उक्त आदेश को विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होना माना जा सकता है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल नहीं पाते है।

5. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)